

# FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

श्रीमती

बनाम

श्रीमती

किस प्रकार

प्राथमिक पत्र

नं. 704

सन् 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
26-7-17	<p>पत्रावली पेश हुई। बकलाय करिये                      अनुपस्थित पीठासीन अधिकारी                      तारे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में                      है। पत्रावली अप्रिप कार्यवाही हेतु                      नं. 27-10-17 को पेश हो।                      अग्रिम</p>	
22-10-17	<p>पत्रावली पेश हुई; वकील अग्रार्थी अनुपस्थित                      व अग्रार्थी पक्षकार भी अनुपस्थित।                      अग्रार्थी व पक्षकार को वार-2 आवाज                      दिलवायी गई। बावजूद आवाज के भी                      हाजिर आशक्त नहीं आये अतः वारन्ते खालि                      होने पत्रावली नं. 31-10-17 को पेश हो।</p>	<p>2/11/17                      31/10/17</p>
31-10-17	<p>पत्रावली पेश हुई। बकलाय करिये                      उप./अनुपस्थित पीठासीन अधिकारी                      तारे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में                      है। पत्रावली अप्रिप कार्यवाही हेतु                      नं. 11-1-20 को पेश हो।</p>	
15-1-20	<p>फला का अवकाश होने पर पत्रावली आज पेश                      हुई। वकील अग्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण में कोई                      समाप्ति तक वार-2 कर वार-2 आवाज                      दिलवाई गई। वकील अग्रार्थी व पक्षकारान में</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म

21 मई 2017 वनाम भूमिधारी  
हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज  
प्राथमिक पत्र मुंजो 704/2017

से कोई हाजिर अशालत नहीं आये है अतः  
वकील प्रार्थी व पक्षकारान की अनुपस्थिति में  
दृष्टिगत पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अयम हाजरी  
व अयम पैरवी में स्वारीज किया जाता है।  
पत्रावली कैब्रल शुमार होकर बाद तकमील  
दरिफत दफतर हो।

*[Signature]*

(सहित (सीकर))  
R/S

(सहायक फलफर श्रीमाधोपुर)

